रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2053] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2015/भाद्र 31, 1937
No. 2053] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2015/BHADRA 31, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2015

का.आ. 2602(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (6ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि मेसर्स थेल्स सिस्टम्स एरोपोर्टिस एसएएस, जिसका कार्यालय एस.ए.एयू कैपिटल डी 81 007 176 यूरो आरसीएस पेरिस बी712 042, में है, को मैसर्स थेल्स सिस्टम एरोपोर्टिस (थेल्स) और मैसर्स डेसॉल्ट एविएशन और भारत सरकार के बीच हुए सामान्य करार सं.एचक्यू/96102/2/एएसआर/टीएसए-डीए दिनांक 29 जुलाई, 2011 के तहत हुए करार के अनुसरण में, भारत की सुरक्षा से संबंधित 51 रक्षा विमान की मरम्मत के लिए प्राप्त तकनीकी सेवा की रायॅल्टी या शुल्क के रुप में होने वाली किसी भी आय को उक्त अधिनियम के अंतर्गत उक्त कंपनी के पिछले वर्ष की कुल संगणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 74 /2015/फा. सं. 200/18/2014-आ.क.नि.-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2015

S.O. 2602(E).—In exercise of the powers conferred by clause (6C) of section 10 of the Income–tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby declares that any income arising to M/s Thales Systemes Aeroportes SAS, having its office at S.A. au capital de 81 007 176 Euros RCS Paris B 712 042, by way of royalty or fees for technical services received in pursuance of the agreement vide General Contract No. Air HQ/96102/2/ASR-DA, dated the 29th July, 2011 entered into between Thales Systemes Aeroportes ("Thales") and M/s Dassault Aviation and the Government of India for undertaking retrofitting of fifty-one defence aircrafts connected with security of India, shall not be included in computing the total income of a previous year of the said company under the said Act.

[Notification No. 74/2015/F. No. 200/18/2014-ITA-I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

4045 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.